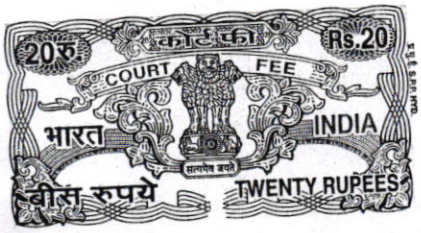

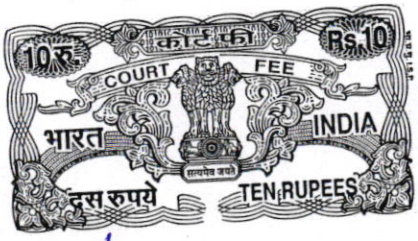

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी प्र०क्र० निग-3376-I-16 / जिला-सिवनी

रामकुमार पिता अनेकलाल जाति गौंड
निवास ग्राम उड़ेपानी तहसील
व जिला सिवनी म०प्र० ----- आवेदक

विरूद्ध

म०प्र० शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म०प्र० ---- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 3/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 22-9-2016 से व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, सिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक के नाम पर ग्राम अतरी प.ह.नं. 26 में भूमि खसरा नं. 340 एवं 386/1 रकबा क्रमशः 1.91 एवं 0.07

XXXiX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक निग0 3376 –एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 22–9–2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम अतरी प.ह.नं. 26 खसरानं. 340 रकबा 1.91 एवं खसरा नं. 386/1 रकबा 0.07 एवं ग्राम नयेगांव प.ह.पनं. 58 खसरा नं. 798/2 रकबा 0.45 एवं खसरा नं. 808 रकबा 0.32 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार कर आवेदक को अनुमति प्रदान किया जाना उचित न मानते हुए प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुतभूमि विकय का आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर कि प्रस्तावित भूमि विकय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक ने जो कारण बताए हैं उनके संबंध में ठोस दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं कए हैं तथा उसके पास 10 एकड़ से कम भूमि बच रही है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा विकय हेतु आवेदित भूमि उनके द्वारा कय की गई है । आवेदित भूमि 40–50 कि.मी. दूर है आवेदक के पास शेष बच रही 2.40 हैक्टर भूमि सिंचित है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है । संहिता की धारा 165 में 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष रहने के जो प्रावधान हैं, वे बंधक एवं कुर्क किए जाने के संबंध में है । जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विकय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3376 –एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर आवेदक द्वारा कय की गई है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसने भूमि विकय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विकय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक की ओर से जो राजस्व अभिलेख पेश किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि के विकय के उपरांत आवेदक के पास 2.40 हैक्टर अर्थात 5.00 एकड़ से अधिक भूमि भूमि शेष बचेगी इस कारण वह भूमिहीन नहीं होगा । आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विकय की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं, उनको देखते हुए आवेदक को भूमि विकय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–09–16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को ग्राम अतरी प.ह.नं. 26	

निगरा. 3376. पी/16

रामकुमार विरूद्ध म0प्र0 शासन

-8-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	खसरा नं. 340 रकबा 1.91 एवं खसरा नं. 386/1 रकबा 0.07 एवं ग्राम नयेगांव प.ह.नं. 58 खसरा नं. 798/2 रकबा 0.45 एवं खसरा नं. 808 रकबा 0.32 हैक्टर गैर आदिवासी को विकय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।	
	1— यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016—17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	
	2— केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।	
	3— उप पंजीयक द्वारा विकयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।	
	4— भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।	
	पक्षकार सूचित हों ।	
	(एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	